सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

भारत सरकार

और

.....

.....

के मध्य

सामुदायिक रेडियो स्टेशन (एफएम) को स्थापित करने, अनुरक्षित रखने

तथा प्रचालित करने के लिए

अनुमति प्रदान करने का करार

.....

अनुमति प्रदान करने का करार

यह करार आज दिनांक ..... 2008 को भारत के राष्ट्रपति जो ..... अवर सचिव (एफएम), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के माध्यम से कार्य कर रहे हैं (इसमें इसके बाद अनुमति प्रदान करने वाला कहा गया है जिसकी अभिव्यक्ति में जब तक इसके संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो कार्यालय में इसके उत्तराधिकारी ..... प्रतिनिधि शामिल हैं) प्रथम भाग और मैसर्स ..... (इसमें इसके बाद अनुमति प्राप्त करने वाला गया है जिसकी अभिव्यक्ति में जब तक इसके संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो बिजनेस, प्रशासन में इसके उत्तराधिकारी, परिसमापक और प्रतिनिधि अथवा निधिक प्रतिनिधि शामिल है, द्वितीय भाग के मध्य सम्पन्न किया गया है।

और जबकि अनुमति प्राप्त करने वाले ने ..... में सामुदायिक रेडियो स्टेशन को प्रचालित करने के लिए दिनांक 4.12.2006 को जारी किए गए "भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना करने संबंधी नीतिगत दिशानिर्देश" (इसमें इसके बाद दिशानिर्देश कहा गया है) के तहत अनुमति प्रदान करने वाले को अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन किया है।

और जबकि अनुमति प्राप्त करने वाले ने फ्रीक्वेंसी तथा एसएसीएफए अनुमोदन प्राप्त कर लिया है और सामुदायिक रेडियो सेवा शुरू करने से पहले वह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की डब्ल्यूपीसी विंग से वायरलेस प्रचालन लाइसेंस (डब्ल्यूओएल) प्राप्त करेगा।

और जबकि दिशानिर्देशों के अनुसार आश्वासन के अनुसरण में तथा पात्रता शर्तों को पूरा करने के लिए अनुमति प्रदान करने वाला इसमें इसके बाद शामिल की जाने वाली निबंधन और शर्तों पर ..... में अनुमति प्राप्त करने वाले को सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने, अनुरक्षित रखने तथा प्रचालित करने की अनुमति प्रदान करने पर सहमत हुआ है तथा अनुमति प्राप्त करने वाले ने इन्हें स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है।

इस करार में शामिल किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का जब तक इनके संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, वही अर्थ होगा जो इन्हें क्रमश: इसमें इसके तहत प्रदान

किया गया है।

अब यह करार निम्नलिखित का साक्ष्य है :

1.1 **"अनुमति प्रदान करने वाले करार अथवा जीओपीए"** का अर्थ इसमें बाद में की जाने वाली वृद्धि/विलोपन/संशोधन सहित यह करार होगा।

1.2 **"अनुमति"** का अर्थ इस करार के अनुरक्षण में अनुमति प्रदान करने वाले द्वारा अनुमति प्राप्त करने वाले को प्रदान की जा रही अनुमति होगा।

1.3 **"सीआरएस"** का अर्थ सामुदायिक रेडियो स्टेशन है।

1.4 **"डब्ल्यूपीसी"** का अर्थ वायरलेस आयोजना तथा समन्वय विंग, सूचना और संचार मंत्रालय, भारत सरकार होगा।

1.5 **"कारगर प्रसारण क्षमता (ईआपी)"** का अर्थ हाफ वेव डिपोल से संबंधित ट्रांसमीटर निष्कर्ष क्षमता एंटीना लाभ है।

2. इस करार की शर्तों के अनुसार पात्रता शर्तों और पूर्ववर्ती शर्तों, प्रसंविदाओं को सतत् रूप से पूरा करने तथा इस करार की सभी निबंधन और शर्तों के उचित निष्पादन और/अथवा अनुपालन तथा अनुमति प्राप्त करने वाले की ओर से दिशानिर्देशों में बाद में किए जाने वाले विलोप, वृद्धि तथा संशोधनों की शर्त के अधीन अनुमति प्रदान करने वाला इसके अधीन निबंधन और शर्तों के आधार पर ..... में सामुदायिक रेडियो स्टेशन को पॉच (5) वर्ष की अवधि के लिए गैर-समावेशी आधार पर एतद्द्वारा स्थापित करने, अनुरक्षण करने तथा प्रचालित करने की अनुमति प्रदान करता है :-

2.1 इस अनुमति करार को कार्यान्वित करना सभी निम्नलिखित और पूर्ववर्ती पात्रता शर्तों को पूरा करने पर और पूरा करना जारीख रखने पर निर्भर होगा और सतत् रूप से निर्भर रखा जाएगा। अनुमति प्राप्त करने वाले की किसी पात्रता शर्त अथवा पूर्ववर्ती शर्त को पूरा करने की अयोग्यता का परिणाम इस जीआपीए को तत्काल रद्द करना होगाा

I. समय-समय पर यथा-संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार।
II. अनुमति प्राप्त करने वाले के संबंध में कारगर प्रतिभूति अनुमोदन।

III. अनुमति प्राप्त करने वाले अथवा इस करार के अनुच्छेद 11.5 में यथा-उल्लिखित विदेशी कार्मिकों से सम्बद्ध व्यक्तियों के संबंध में कारगर प्रतिभूति अनुमोदन।

IV. डब्ल्यूपीसी से कारगर डब्ल्यूओएल

V. इस करार को सम्पन्न करने के तीन माह के भीतर सामुदायिक रेडिया स्टेशन को प्रचालित न करना।

और इन शर्तों को पूरा न करने से किसी आगामी कार्रवाई के बिना इस करार को समाप्त कर दिया जाएगा तथा कोई पक्षकार और अनुमति प्राप्त करने वाला शेष अवधि की हानि के लिए किसी प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

3. अनुमति की अवधि

इस प्रकार की अनुमति सामुदायिक रेडिया स्टेशन प्रचालित करने, जो जीओपीए को सम्पन्न करने की तारीख से अधिकतम तीन माह के भीतर किया जाना चाहिए अन्यथा इसे पहले समाप्त कर दिया जाएगा जैसी कि इसके तहत व्यवस्था की गई है, की तारीख से पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी।

4. करार की सामान्य निबंधन और शर्तें

4.1 यह अनुमति गैर-अंतरणीय है। अनुमति प्राप्त करने वाला इस करार के तहत अपने किसी अधिकार को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से किसी अन्य पक्षकार को नहीं सौंपेगा/अंतरित नहीं करेगा। इसका कोई उल्लंघन इस करार का उल्लंघन माना जाएगा और इसका परिणाम इस करार को समाप्त करना होगा।

4.2 अनुमति प्राप्त करने वाला अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन की सेवाओं को नि:शुल्क प्रसारण आधार पर उपलब्ध कराएगा।

4.3 अनुमति प्राप्त करने वाला अनुमति प्रदान करने वाले के पक्ष में पूरी अनुमति अवधि के दौरान 25000 रूपये की राशि (पच्चीस हजार रूपये केवल) की बैंक प्रतिभूति की वैधता को बनाए रखेगा।

4.4 अनुमति प्राप्त करने वाला एक अथा अधिक स्थानों पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन प्रचालित करने की एक से अधिक अनुमति का पात्र नहीं होगा।

4.5 अनुमति प्राप्त करने वाले द्वारा प्रचालित किया जाने वाला सामुदायिक रेडियो स्टेशन विनिर्दिष्ट सुपरिभाषित स्थानीय समुदाय के लिए कार्य करने के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।

4.6 अनुमति प्राप्त करने वाला यह सुनिश्चित करेगा कि जिस समुदाय के लिए कार्य करने के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन की मॉग की गई है, इस अनुमति की पूरी अवधि के दौरान उस समुदाय के सदस्यों को सामुदायिक रेडियो स्टेशन के स्वामित्व और प्रबंधन संरचना में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है।

5. विषय-वस्तु विनियमन और अनुवीक्षण

अनुमति प्राप्त करने वाला सामुदायिक रेडियो स्टेशन के माध्यम से कार्यक्रमों के प्रसारण में निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुपालन करेगा :

i) वे कार्यक्रम समुदाय की तात्कालिक प्रासंगिकता वाले होने चाहिए। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, समाज कल्याण, समुदाय विकास तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों को तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

ii) कम से कम 50 प्रतिशत विषय-वस्तु उस समुदाय की भागीदारी से तैयार की जानी चाहिए जिसके लिए स्टेशन स्थापित किया गया है।

iii) प्राथमिक रूप से ये कार्यक्रम स्थानीय भाषा और बोली (बोलियों) में होने चाहिए।

iv) अनुमति प्राप्त करने वाला आकाशवाणी के लिए यथा-निर्धारित कार्यक्रम तथा विज्ञापन संहिता के प्रावधानों का अनुपालन करेगा।

v) अनुमति प्राप्त करने वाला ऐसा कोई कार्यक्रम प्रसारित नहीं करेगा जो समाचार और वर्तमान घटनाक्रम से संबंधित है तथा अन्यथा प्रकार से राजनीतिक स्वरूप का है।

vi) अनुमति प्राप्त करने वाला यह सुनिश्चित करेगा कि प्रसारित कार्यक्रमों में ऐसी कोई बात शामिल नहीं की गई है जो :

   क. सद्भावना अथवा शिष्टाचार के विरूद्ध अपराध है;
   ख. मित्र देशों की आलोचना से संबंधित है;

ग. धर्मों अथवा समुदायों अथवा समकालीन धार्मिक समूहों की भावनाओं अथवा शब्दों के प्रतिकूल है अथवा जिससे अथवा जिसके परिणामस्वरूप धार्मिक दुर्भावना अथवा बिखराव को प्रोत्साहन मिल सकता है;

घ. जिसमें अश्लीलता, मानहानि, काल्पनिक, झूठ तथा किसी का मजाक उड़ाने से संबंधित कोई बात अथवा आधा-अधूरा सत्य हो;

ड. जिससे हिंसा को प्रोत्साहन अथवा इसके फैलने की संभावना है तथा इसमें कोई ऐसी बात दी गई है जो कानून और व्यवस्थ को बनाए रखने के विरूद्ध है अथवा जिससे राष्ट्र-विरोधी प्रवृत्तियां प्रोत्साहित हो सकती हैं;

च. जिसमें ऐसी कोई बात है जिससे राष्ट्रीय एकता प्रभावित हो सकती है;

छ. जिसमें ऐसी कोई बात है जिससे राष्ट्रीय एकता प्रभावित हो सकती है;

ज. जिसमें राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति तथा न्याय-व्यवस्था के विरूद्ध लांछन लगाने से संबंधित कोई बात हो;

झ. जिसमें वैयक्तिक रूप से किसी व्यक्ति अथवा कुछ समूहों, देश के सामाजिक, सार्वजनिक और नैतिक जीवन के भागों की आलोचना, मिथ्या अथवा अनिष्टकारी कोई बात हो;

ञ. जिससे पाखण्ड अथवा अंधविश्वास को प्रोत्साहन मिलता हो;

ट. जिससे महिलाओं की निंदा होती हो;

ठ. जिससे बच्चों की भावनाएं आहत होती हों;

ड. जिससे शराब, नारकोटिक्स और तम्बाकू सहित नशीली चीजों के प्रयोग करने को वांछनीय रूप से प्रयोग करने के रूप में प्रस्तुति/चित्रण/सुझाव प्रतीत होता हो अथवा जिससे किसी व्यक्ति अथवा समूह को नृजातीय, राष्ट्रीयता, नस्ल, जेण्डर, यौन अभिरूचि, धर्म, आयु अथवा भौतिक अथवा मानसिक विकलांगता के आधार पर नीचा दिखाने का प्रयास करना प्रतीता होता हो अथवा जिससे इनके विरूद्ध रूढ़ी, झूठी निंदा अथवा स्थायी बैर-भावना पैदा हो सकती है।

vii) अनुमति प्राप्त करने वाला यह सुनिश्चित करेगा कि निम्नलिखित बातों से बचने के लिए धार्मिक कार्यक्रमों के संबंध में उचित सावधानी बरती गई है:

क) धार्मिक भावनाओं के आधार पर शोषण; और

ख) किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक पंथ से संबंधित व्यक्तियों के धार्मिक विचारों तथा विश्वास से संबंधित अपराध।

6. ट्रांसमीटर की क्षमता और इसकी सीमा

अनुमति प्राप्त करने वाला यह सुनिश्चित करेगा कि एंटीना सहित सभी प्रसारण उपस्कर निम्नलिखित तकनीकी पैरामीटरों के अनुकूल हैं :-

(क) ट्रांसमीटर की क्षमता : 100 वाट तक ईआरपी

(ख) भूतल से एंटीना की ऊँचाई : 30 मीटर तक। तथापि, आरएफ विकिरण के जैविक खतरे से बचने के लिए भूतल से एंटीना की ऊँचाई कम से कम 15 मीटर होनी चाहिए।

(ग) एंटीना का स्थान : (शिक्षा संस्थाओं के मामले में संस्थान के परिसर के भीतर और गैर-संगठनों तथा अन्य संगठनों के मामले में सेवा के लिए शामिल किए जाने वाले समुदाय के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर)।

7. निधियन और इसकी पुष्टि

7.1 अनुमति प्राप्त करने वाला एफसीआरए अनुमोदन प्राप्त करने के बाद विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, 1976 के तहत बहु-पक्षीय सहायता अभिकरणों से निधियन प्राप्त करने का पात्र होगा।

7.2 केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा और जनहित की सूचना प्रसारित करने वाले अन्य संगठनों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को छोड़कर कोई प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त स्थानीय घटनाओं, स्थानीय व्यापार और सेवाओं तथा रोजगार अवसरों से संबंधित सीमित विज्ञापनों तथा घोषणाओं को प्रसारित करने की अनुमति होगी। इस प्रकार के सीमित विज्ञापन की अधिकतम अवधि 5 (पांच) मिनट प्रति प्रसारण घण्टा होगी।

7.3 उपर्युक्त पैरा (7.2) के अनुसार प्रायोजित कार्यक्रमों, विज्ञापनों तथा घोषणाओं को प्रसारित करने से अर्जित राजस्व का उपयोग केवल सामुदायिक रेडियो स्टेशन के प्रचालन व्यय तथा पूंजीगत व्यय के लिए ही किया जाएगा। सामुदायिक रेडियो स्टेशन की पूरी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद शेष अतिरिक्त निधियों का उपयोग अनुमति प्रदान करने वाले की लिखित पूर्व अनुमति से उस संगठन के प्राथमिक कार्यकलाप अर्थात शिक्षा संस्थाओं के मामले में शिक्षा के लिए और उन प्राथमिक उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है जिनके लिए वह गैर-सरकारी संगठन स्थापित किया गया था।

7.4 अनुमति प्राप्त करने वाले से यह अपेक्षा होगी कि वह सामुदायिक रेडियो स्टेशन संचालित करने वाले संगठन/प्रभाग के संबंध में अनुमति प्रदान करने वाले को उनके लेखा परीक्षित वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत करे। इन लेखाओं में सामुदायिक रेडियो स्टेशन के संबंध में आय और किए गए व्यय तथा परिसम्पत्तियों और देनदारियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष के लेखा परीक्षित लेखाओं/तुलन-पत्रों को इन्हें अंतिम रूप देने के एक माह के भीतर किंतु अगले वित्त वर्ष के अधिकतम 30 सितम्बर तक प्रस्तुत किया जाएगा।

7.5 अनुमति प्रदान करने वाले को सामुदायिक रेडियो स्टेशन के लेखाओं की अपने विवेक से नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अथवा किसी अन्य लेखा परीक्षा व्यावसायिकों से लेखा परीक्षा करवाने का अधिकार प्राप्त होगा। किसी प्रकार की विभिन्नता के मामले में अनुमति प्राप्त करने वाले को सुनवाई का अवसर प्रदान करने की शर्त के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों के विचार मान्य होंगे।

8. अनुवीक्षण और जन-शिकायतें :

8.1 अनुमति प्राप्त करने वाला अपनी लागत पर,

(क) प्रसारण की तारीख से तीन माह की अवधि तक प्रसारण सामग्री की रिकार्डिंग को सुरक्षित रखेगा और जब भी अपेक्षित होगा उसे अनुमति प्रदान करने वाले अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को प्रस्तुत करेगा, और

(ख) अनुमति प्रदान करने वाले की ओर से मांग किए जाने पर प्रसारण सेवा के अनुमति प्रदान करने वाले द्वारा अथवा उसके पर्यवेक्षण में सतत् अनुवीक्षण के लिए किसी निर्धारित स्थान (स्थानों) पर आवश्क उपस्कर, सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

8.2 अनुमति प्राप्त करने वाला अपने प्रसारण के संबंध में अनुमति प्रदान करने वाले को समय-समय पर यथा-अपेक्षित सूचना प्रदान करेगा।

8.3 अनुमति प्राप्त करने वाला प्रसारण से संबंधित कार्यक्रम विषय-वस्तु तथा इसकी गुणवत्ता, तकनीकी पैरामीटर इत्यादि के संबंध में अनुमति प्रदान करने वाले को यथा-अपेक्षित आवधिक सूचना उसके द्वारा समय-समय पर यथा-निर्धारित फार्मेट में प्रस्तुत करेगा।

8.4 अनुमति प्रदान करने वाला विशेष रूप से उन क्षेत्रों जहां प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशनों को लाइसेंस प्रदान किए गए हैं, में विज्ञापनों की सीमा के अनुवीक्षण तथा इसे लागू करने के लिए विशेष व्यवस्था करेगा और अनुमति प्राप्त करने वाला इसमें पूरा सहयोग करेगा।

9. निरीक्षण

9.1 अनुमति प्रदान करने वाले अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को प्रसारण सुविधाओं का निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त होगा। अनुमति प्रदान करने वाले को विशेष रूप से सामुदायिक रेडियो स्टेशन की बुनियादी सुविधाओं तथा रिकार्डों को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा। अनुमति प्रदान करने वाले को निरीक्षण करने के लिए अपने अधिकार प्रयोग करने के लिए कोई पूर्व अनुमति प्राप्त करने/सूचना देने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि अनुमति प्रदान करने वाले अथवा इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपेक्षा की जाती है तो अनुमति प्राप्त करने वाला अपने कार्यकलाप और प्रचालनों के किसी विशेष पहलू के सतत् अनुवीक्षण के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।

9.2 अनुमति प्रदान करने वाला ऐसी परिस्थितियों को छोड़कर जिनमें निरीक्षण के संबंध में सूचना देने से निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य ही असफल हो जाएगा, सामान्यत: पर्याप्त समय पहले सूचना देकर निरीक्षण करेगा।

10. विशेष आकस्मिक स्थिति

10.1 यदि इस अनुमति को जारी रखने के दौरान किसी समय युद्ध, युद्ध जैसी स्थिति, शत्रु के कार्यों, नागरिक हुल्लड, तोड-फोड़, आग लगने, बाढ़, राज्य के कार्य, विस्फोट, महामारी, निषेधाज्ञा प्रतिबंध, प्राकृतिक आपदाओं, प्रभावित पक्षकार के किसी कर्त्तव्य के निष्पादन को भौतिक रूप से प्रभावित करने वाली सामान्य हड़तालों अथवा ईश्वर के किसी कार्य (इसमें इसके बाद सभी अथवा किसी एक को **"विशेष आकस्मिक घटना"** कहा

गया है) के कारण कोई पक्षकार अपने किसी कर्त्तव्य को पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से पूरा नहीं कर पाता है अथवा इसमें विलंब हो जाता है, न तो कोई भी पक्षकार इस प्रकार किसी विशेष आकस्मिक घटना के कारण इस अनुमति को समाप्त करने का पात्र होगा और न ही कोई पक्षकार इस प्रकार कार्य निष्पादित न करने अथवा निष्पादन में विलंब के संबंध में दूसरे पक्षकार के विरूद्ध इस प्रकार की क्षति के लिए दावा करेगा बशर्ते इस प्रकार की विशेष आकस्मिक घटना होने की सूचना प्रभावित पक्षकार ने अप्रभावित पक्षकार को ऐसी घटना होने की तारीख से 30 दिन के भीतर दी हो।

11. राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य शर्तें

11.1 अनुमति प्रदान करने वाले का राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में अथवा राष्ट्रीय आपातकाल/युद्ध अथवा भारी टकराव की स्थिति में अथवा इसी प्रकार की परिस्थितियों में अनुमति प्राप्त करने वाले की पूरी सेवा और नेटवर्क को अपने हाथ में लेने अथवा अनुमति को रद्द करने/समाप्त करने/निलम्बित करने का अधिकार सुरक्षित है।

11.2 अनुमति प्राप्त करने वाले द्वारा अपनी सेवा की संस्थापना, अनुरक्षण तथा प्रचालन के लिए नियुक्ति, संविदा, परामर्शी सेवा इत्यादि के माध्यम से नियोजित किए जाने वाले सभी संभावित विदेशी कार्मिकों को भारत सरकार से पूर्व सुरक्षा अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

11.3 अनुमति प्रदान करने के करार में किसी स्थान पर दी गई किसी बात के होते हुए भी अनुमति प्रदान करने वाले को राष्ट्रीय आपात से उत्पन्न होने वाली किसी आकस्मिक स्थिति अथवा जनहित में अथवा प्राकृतिक आपदा तथा इसी प्रकार की स्थिति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वांछित समझे जाने वाले किसी विशेष संदेश को प्रसारित करने के संबंध में अनुमति प्राप्त करने वाले को निर्देश देने की शक्ति प्राप्त होगी और अनुमति प्राप्त करने वाला इस प्रकार के निदेशों का अनुपालन करेगा।

11.4 यह अनुमति इसकी पूरी अवधि के दौरान प्रतिभूति अनुमोदन बनाए रखने की शर्त के अधीन अनुमति प्राप्त करने वाले को प्रदान की गई है। प्रतिभूति वापस लिए जाने के मामले में इस करार के तहत प्रदान की गई अनुमति तुरंत समाप्त कर दी जाएगी।

11.5 अनुमति प्राप्त करने वाले से सम्बद्ध किसी व्यक्ति अथवा विदेशी कार्मिक का प्रतिभूति अनुमोदन वापस लिए जाने की स्थिति में चाहे इसके कुछ भी कारण रहे हों,

अनुमति प्राप्त करने वाला यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमति प्रदान करने वाले से इस प्रकार के निर्देश के बाद तुरंत संबंधित व्यक्ति ने त्यागपत्र दे दिया है अथवा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।

12. निबंधन और शर्तों को संशोधित करने की शक्ति

12.1 अनुमति प्रदान करने वाले का किसी समय निबंधन और शर्तों को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है यदि जनहित में अथवा प्रसारण को उपयुक्त रूप से करने अथवा सुरक्षा कारणों से ऐसा करना अनिवार्य है। यह करार अनुमति प्रदान करने वाले द्वारा इस प्रकार यथा-निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन है।

13. भारतीय तार अधिनियम और अन्य कानूनों को लागू करना :

13.1 यह अनुमति समय-समय पर यथा-संशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक अधिनियम, 1997, भारतीय तार अधिनियम, 1885 और भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम, 1993 और यथा-लागू किसी अन्य कानून तथा यथा-लागू किए जाने वाले किसी अन्य कानूनों के प्रावधानों से अभिशासित होगी।

13.2 इस करार में किसी अन्य स्थान पर दी गई किसी बात के होते हुए भी अनुमति प्रदान किया जाना उस शर्त के भी अधीन होगा जिसे जब भी कोई नया विनियामक प्राधिकरण देश में प्रसारण सेवाओं को विनियमित करने तथा इनका अनुवीक्षण करने के लिए निर्धारित करेगा, अनुमति प्राप्त करने वाला इस प्रकार के प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्धारित करेगा, अनुमति प्राप्त करने वाला इस प्रकार के प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्धारित मानदण्डों, नियमों और विनियमों तथा भारत में प्रसारण सेवाओं को विनियमित करने तथा इनका अनुवीक्षण करने के लिए लागू किसी कानून का अनुपालन करेगा।

14. अनुमति को समाप्त करना

14.1 प्रचालन शुरू न करने के परिणाम

14.1.1 अनुमति प्राप्त करने वाला इस करार को सम्पन्न करने के तीन माह के भीतर रेडियो स्टेशन को प्रचालित करेगा और ऐसा न करने पर उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करके प्रदान की गई अनुमति को रद्द किया जा सकता है। यदि अनुमति प्राप्त करने वाला निर्धारित अवधि के भीतर रेडियो स्टेशन शुरू करने में असफल रहता है तो वह अनुमति प्रदान करने वाले को दी गई अपनी बैंक प्रतिभूति को खो देगा।

14.2 प्रचालन बंद करने के परिणाम

14.2.1 यदि अनुमति प्राप्त करने वाला प्रचालन को शुरू करने के बाद 3 माह से अधिक अवधि के लिए प्रसारण कार्यकलाप को बंद कर देता है तो उसकी अनुमति समाप्त कर दी जाएगी और संबंधित बारम्बारता अगले पात्र आवेदक को आबंटित कर दी जाएगी।

14.3 अनुमति अंतरित करने के परिणाम

14.3.1 खण्ड 4.1 का उल्लंघन करके अनुमति अंतरित करने के मामले में इस प्रकार की अनुमति को समाप्त कर दिया जाएगा और न तो अनुमति प्राप्त करने वाला और न ही इस अंतरण को प्राप्त करने वाला भविष्य में पांच वर्ष की अवधि के लिए नई अनुमति के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आवेदन करने का पात्र होगा। इसके अतिरिक्त अनुमति प्राप्त करने वाला अपनी अनुमति प्रदान करने वाले को दी गई बैंक प्रतिभूति भी खो देगा।

14.4 निदेशों का दुरूपयोग करने और इनका अनुपालन न करने के परिणाम

14.4.1 किसी अनुमति प्राप्त करने वाले द्वारा अपनी सुविधाओं का किसी अप्राधिकृत विषय-वस्तु, संदेश अथवा संचार को प्रसारित करने अथवा प्रसारण में बाधा डालने के लिए उपयोग करने अथवा खण्ड 11.5 के निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहने की स्थिति में प्रदान की गई अनुमति रद्द कर दी जाएगी और अनुमति प्राप्त करने वाला अन्य लागू कानूनों के तहत दण्ड प्राप्त करने के साथ-साथ भविष्य में अगले पांच वष्र्ज्ञ की अवधि के लिए इस प्रकार की अनुमति प्राप्त करने के लिए अयोग्य हो जाएगा। इस प्रकार के मामलों में अनुमति प्राप्त करने वाला सरकार के पास जमा की गई अपनी बैंक प्रतिभूति भी खो देगा।

14.5 गैर-पात्रता को समाप्त करना

14.5.1 यदि कम्पनी इस अनुमति की अवधि के दौरान किसी समय दिशानिर्देशों में यथा-निर्धारित पात्रता मानदण्ड को पूरा करने में असफल रहती है अथवा उसका प्रतिभूति अनुमोदन वापस ले लिया जाता है तो सरकार किसी समय इस करार तथा अनुमति को अनुमति प्राप्त करने वाले को प्रतिपूर्ति किए बिना किसी समय पर समाप्त कर सकती है, बशर्ते इस प्रकार इसे समाप्त करने से किसी ऐसे कार्य को करने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अथवा वह कम नहीं होगा जो अनुमति प्रदान करने वाले को प्राप्त है अथवा इसके बाद प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त अनुमति प्राप्त करने वाला अनुमति प्रदान करने वाले को दी गई अपनी बैंक प्रतिभूति भी खो देगा।

14.6 रिकार्डिंग को सुरक्षित रखने में असफल रहने के परिणाम

14.6.1 उपर्युक्त खण्ड 8.1 (क) और (ख) के प्रावधानों के अनुसार अनुपालन न करने की स्थिति में प्रदान की गई अनुमति रद्द की जा सकती है। इसके अतिरिक्त अनुमति प्राप्त करने वाला अनुमति प्रदान करने वाले को दी गई अपनी बैंक प्रतिभूति भी खो देगा।

14.7 अन्य मामलों में अनुपालन न करने/उल्लंघन करने के परिणाम

14.7.1 अनुमति प्राप्त करने वाले द्वारा खण्ड 5 में उल्लिखित किसी शर्त का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में अनुमति प्रदान करने वाला स्वयं अपनी ओर से अथवा शिकायत (शिकायतों) के आधार पर संज्ञान ले सकता है और उपयुक्त दण्डों की सिफारिश के लिए इस मामले को कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता से संबंधित अंतर-मंत्रालयी समितियों को प्रस्तुत कर सकता है। समिति की सिफारिश पर खण्ड 14.7.3 में यथा-उपबंधित दण्ड देने के लिए निर्णय लिया जाएगा।

14.7.2 ऐसी निबंधन और शर्तों जिनकी किसी स्थान पर विशिष्ट रूप से व्यवस्था नहीं की गई है, में से किसी निबंधन और शर्त का अनुपालन न करने/उल्लंघन करने के मामले में भी खण्ड 14.7.3 के तहत यथा-उपबंधित दण्ड दिया जा सकता है।

14.7.3 इस दण्ड में निम्नलिखित शामिल होगा :

(क) प्रथम उल्लंघन के मामले में एक माह की अवधि तक सामुदायिक रेडियो स्टेशन प्रचालित करने की अनुमति को अस्थायी रूप से निलंबित करना।

(ख) द्वितीय उल्लंघन के मामले में इसकी गंभीरता के आधार पर तीन माह की अवधि तक सामुदायिक रेडियो स्टेशन प्रचालित करने की अनुमति को अस्थायी निलंबित करना।

(ग) इसके बाद किसी अन्य उल्लंघन के लिए अनुमति को रद्द करना। इसके अतिरिक्त अनुमति प्राप्त करने वाले और इसके मुख्य सदस्य के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, आपराधिक दण्ड संहिता और अन्य लागू कानूनों के तहत उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

14.7.4 तथापि, इस प्रकार दण्ड दिए जाने से पहले अनुमति प्राप्त करने वाले को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।

14.7.5 अनुमति को रद्द किये जाने के मामले में अनुमति प्राप्त करने वाला भविष्य में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नई अनुमति के लिए आवेदन करने का पात्र नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, अनुमति प्राप्त करने वाला अनुमति प्रदान करने वाले को दी गई अपनी बैंक प्रतिभूति भी खो देगा। अनुमति प्रदान करने वाला इस अनुमति की क्षमता के आधार पर अनुमति प्राप्त करने वाले द्वारा अथवा किसी अन्य पक्षकार द्वारा सामुदायिक रेडियो स्टेशन के संबंध में किए गए किसी निवेश के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। बशर्ते उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार दिया गया दण्ड समय-समय पर यथा-संशोधित भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 सहित लागू कानूनों के तहत किसी दण्डात्मक कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा।

14.7.6 उपर्युक्त पैरा 14.7.3 (क) और (ख) यथा-उल्लिखित अनुमति को निलंबित किए जाने की स्थिति में अनुमति प्रदान करने वाला इस निलंबन अवधि के दौरान भी अनुमति प्रदान करने के करार के तहत भी अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करना जारी रखेगा।

14.8 सुविधा समाप्त करना

अनुमति प्राप्त करने वाला अनुमति प्रदान करने वाले और सभी संबंधित/प्रभावित पक्षकारों को एक माह का अग्रिम नोटिस देकर इस अनुमति का अभ्यर्पण कर सकता है और इस करार को समाप्त कर सकता है।

15. अन्य पक्षकारों के साथ विवाद :

15.1 अनुमति प्राप्त करने वाले और अनुमति प्रदान करने वाले से भिन्न किसी पक्षकार (अनुमति और/अथवा प्रसारण इत्यादि के संबंध में) कोई विवाद पैदा होने की स्थिति में चाहे इसका कोई भी कारण रहा हो, यह एकमात्र जिम्मेदारी अनुमति प्राप्त करने वाले की होगी कि अन्य पक्षकार के साथ वह इस प्रकार के विवाद का सौहार्दपूर्ण अथवा अन्यथा समाधान करे और अनुमति प्रदान करने वाले की इस संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनुमति प्राप्त करने वाला एतद्द्वारा पूरी सत्यनिष्ठा से अनुमति प्रदान करने वाले को किसी कार्रवाई, दावे, वाद, कार्यवाही, क्षति अथवा अनुमति प्राप्त करने वाले, इसके अभिकर्ता, कर्मचारी, प्रतिनिधि अथवा कर्मचारियों की ओर से की गई भूल-चूक की किसी कार्रवाई के लिए अनुमति प्रदान करने वाले को/इसके विरूद्ध दी गई सूचना से होने वाली हानि नहीं होने देने का वचन देता है।

15.2 बशर्ते यदि कोई तृतीय पक्षकार विवाद अनुमति प्राप्त करने वाले द्वारा इस अनुमति करार में यथा-उपबंधित किसी नियम अथवा विनियम अथवा किसी निबंधन और

शर्त का अनुपालन न करने अथवा उल्लंघन करने से पैदा होता है तो अनुमति प्रदान करने वाले को अनुमति प्राप्त करने वाले के विरूद्ध इनमें यथा-उपबंधित कार्रवाई करने का अधिकार भी होगा।

16. विवाद समाधान और क्षेत्राधिकार :

पक्षकार इस बात से सहमत है कि वे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (**"टीडीएसटी"**) को छोड़कर इस करार से पक्षकारी के मध्य पैदा होने वाले किसी दावे, विवाद अथवा मतभेद के संबंध में भारत के किसी न्यायालय अथवा न्यायिक न्यायाधिकरण/प्राधिकरण से किसी आदेश अथवा किसी अंतरिम/अंत:, अंतरिम आदेश को प्राप्त नहीं करेंगे। पक्षकारों के मध्य सभी विवादों का समाधान **"टीडीएसएटी"** के समक्ष किया जाएगा।

17. डब्ल्यूपीसी विंग की अनुमति :

17.1 जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है अनुमति प्राप्त करने वाला सामुदायिक रेडियो स्टेशन को प्रचालित करने से पहले अलग से विनिर्दिष्ट लाइसेंस अर्थात बेतार प्रचालन लाइसेंस सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय की डब्ल्यूपीसी विंग से इस प्रकार के लाइसेंस की सामान्य निबंधन और शर्तों के तहत सामुदायिक रेडियो स्टेशन के संबंधित बेतार घटक की स्थापना और प्रचालन के लिए उपयुक्त बारम्बारता/बैण्ड का उपयोग करने की अनुमति लेने के लिए प्राप्त करेगा। इस प्रकार प्रदान किया गया लाइसेंस नियमों, प्रक्रियाविधियों और दिशानिर्देशों से अभिशासित होगा और डब्ल्यूपीसी विंग की सभी अपेक्षाओं के अनुपालन की शर्त के अधीन होगा।

17.2 इस उद्देश्यार्थ, एक आवेदन "भारत सरकार के बेतार संबंधी सलाहकार, डब्ल्यूपीसी विंग, दूरसंचार विभाग, सूचना और संचार मंत्रालय", को निर्धारित आवेदन फार्म में किया जाएगा।

17.3 समय-समय पर डब्ल्यूपीसी विंग द्वारा यथा-निर्धारित लाइसेंस शुल्क/रॉयल्टी का भुगतान अनुमति प्राप्त करने वाले को बारम्बारता स्पेक्ट्रम का उपयोग करने का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किया जाएगा।

17.4 अनुमति प्राप्त करने वाला रेडियो स्पेक्ट्रम का अप्राधिकृत उपयोग करने वालों के कार्य में हानिकर हस्तक्षेप नहीं करवाएगा। अन्य लाइसेंस उपयोगकर्ताओं को हानिकर

हस्तक्षेप, यदि कोई हो, को रोकने के व्यावहारिक तथा अनिवार्य उपाय करने का एकमात्र अधिकार केवल डब्ल्यूपीसी विंग को है।

17.5 बेतार आयोजना और समन्वय विंग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय को समय-समय पर डब्ल्यूओएल शर्तों की अनुकूलता की जांच करने के लिए संस्थापन की तकनीकी दृष्टिकोण से जांच करने का अधिकार होगा।

18. विविध :

18.1 कोई भागीदारी नहीं – इस करार की किसी बात से पक्षकारों के मध्य भागीदारी करने अथवा अभिकरण स्थापित करने का मतलब नहीं निकाला जाएगा और अनुमति प्राप्त करने वाला अनुमति प्रदान करने वाले की ओर से न तो कोई आश्वासन, वचन देगा अथवा प्रसंविदा करेगा और न ही वह अनुमति प्रदान करने वाले की ओर से ऐसा करने के लिए स्वयं को सक्षम मानेगा और न इस करार के संबंध में किसी लेन-देन के लिये अनुमति प्रदान करने वाले की क्रेडिट के संबंध में शपथ लेगा।

18.2 कोई रोजगार नहीं – इस करार की किसी बात का अनुमति प्राप्त करने वाले को अथवा इस अधिनियम के लिए उसके द्वारा अथवा अधीन रोजगार पर लगाए गए किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का रोजगार प्रदान करने का प्रस्ताव करने अथवा आश्वासन देने का मतलब नहीं निकाला जाएगा।

18.3 सरकार की क्षतिपूर्ति करना – अनुमति प्राप्त करने वाला इस करार को निष्पादित करते समय अथवा निष्पादित करने के उद्देश्य से अनुमति प्राप्त करने वाले अथवा उसके किसी अधिकारी, कर्मचारी, अभिकर्ता अथवा व्यावसायिक इत्यादि के किसी कार्य अथवा भूल-चूक के कारण अथवा आरोप लगाने योग्य किसी व्यक्ति को लगने वाली किसी व्यक्तिगत चोट अथवा किसी चल अथवा अचल सम्पत्ति को होने वाली हानि के लिए किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा किए गए किसी दावे अथवा इसे होने वाली प्रत्यक्ष हानि के विरूद्ध सरकार की क्षतिपूर्ति करेगा और किसी भी समय सरकार को हानि नहीं होने देगा।

18.4 कोई छूट नहीं – किसी समय इस करार के किसी प्रावधान के निष्पदन की अपेक्षा होने पर कोई पक्षकार इसे नहीं टालेगा, इससे बचने अथवा इसमें किसी ऐसी छूट प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा जिससे किसी भी प्रकार से उस प्रकार के पक्षकार जिससे उस प्रावधान को निष्पादित करने की अपेक्षा की गई है, के किसी अधिकार पर प्रभाव पड़ेगा, यह समाप्त हो जाएगा अथवा यह कमजोर होगा तथा इस करार के किसी प्रावधान के

संबंध में किसी पक्षकार को किसी छूट अथवा उसके द्वारा उल्लंघन किए जाने का मतलब एक छूट के रूप में अथवा इस प्रावधान में ही संशोधन अथवा बाद के किसी अवसर पर छूट प्राप्त करना, जब तक कि इस छूट का प्रयोग करने वाले पक्षकार द्वारा लिखित में यह इच्छा व्यक्त न की गई हो, नहीं निकाला जाएगा।

18.5 समग्र करार – यह करार और इसकी अनुसूचियां इसके पक्षकारों के मध्य करार की शर्तों का पूरा और विशिष्ट विवरण है। इस करार के संबंध में सभी पूर्व लिखित अथवा मौखिक समझबूझ, प्रत्येक प्रकार का प्रस्ताव अथवा संचार निराकरण करने के लिए है और इन्हें वापस लिया गया है।

जिसकी उपस्थिति में पक्षकारों ने अपने-अपने संबंधित प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से यथा-उपर्युक्त उल्लिखित दिनांक, माह और वर्ष को सम्पन्न कराने के लिए इस करार को तैयार किया है।

भारत के राष्ट्रपति की ओर से
अवर सचिव (एफएम) द्वारा .....
हस्ताक्षरित, निष्पादित और (मोहर)
प्रदान किया गया

..... की ओर से इसके रजिस्ट्रार/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/प्राधिकृत
(मोहर) प्रतिनिधि के माध्यम से हस्ताक्षरित, निष्पादित ओर प्रदान
किया गया